

13/4/18

पत्रावली पेश हुई। गैर साधक आधिक्यता
अनुपायित। तीन बार भाषण लगाई गई
लेकिन कोई उपायित नहीं हुआ। आतिकमी
के 25/2/18 के नोटिफि गमित हुआ।

उसके पश्चात अनेक बार ~~वेस्टि~~ जवाब
साधक प्रस्तुत करने का अवसर दिया
गया लेकिन आतिकमी अथवा उनके आधिक्यता
द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया
इससे स्पष्ट है कि गैर साधक इस संदर्भ
में कुछ भी करना नहीं चाहते। एवं
किली प्रकार का साधक (न्याय संगत)
भी नहीं है। अतः गैर साधक के
आतिकमी दौषित किया जाता है। निवार्य
अलग से लिखा जाकर प्रस्तुत है। निवार्य
खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली
फैसल सुमार होकर नंबर से कर है।

~~नाथ तहसीलदार सिणधरी~~

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पत्रिका सं. 4 के
पृष्ठ सं. 4 पर क्र.सं. 5 पर जुमाना/फैसल
निलामी राशि रु. 250+1500 की मांग दर्ज की गई।

1750

13-7-18
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

(देखिये नियम 3)

नोटिस

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी

प्रकरण सं० ५०/२०१८

संवत् २०७५

सन् २०१८

राज्य सरकार बजरिये पटवारी

बनाम

बादराम, चौबेराज, केसावाम पि अन्यावाम

पटवारी हल्का

गोठिया जीवराज

ने रिपोर्ट

पेश कर सूचित किया कि आप मौज गोठिया

खसरा नम्बर

१३

किस्म भूमि

शुद्ध क्षेत्र

रकबा

२१.०९

बीघा

में से ०३.००


बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है।

इसके द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक ०५/०३/१८ से पूर्व भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या लीडर द्वारा दिनांक ०५/०३/२०१८ को १०.३० बजे पूर्वान्ह अदालत हाजा में हाजिर हों तथा हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों नहीं किया जावे। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त प्रकार विधि विरुद्ध किये गये अतिक्रमण के लिये विधि सम्मत शारित क्यों न अधिरोपण की जावे। आपसे यह दर्शित करने के आपको तीन माह तक की अवधि के लिये क्यों नहीं सिविल कारावास सुपुर्द कर जावे वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के ५० गुणा तक की शास्ति सदमय करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रहे कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजरी में निश्चित किया जावेगा।

आज दिनांक १०/०२/१८ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।




नायब तहसीलदार सिणधरी